न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- **16/2019 अपील सू.प्र.**

उनवान

अर्जुन सिंह पिता महावीर सिंह नये जैन मंदिर के पास, बिजौलिया, भीलवाडा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा
--अपीलार्थी		--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 19.03.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्व दिनांक 28.02.2019 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 927941 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 09.08.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 09.08. 2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 11.03.2019 को पंजीबद्व किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सू.प्र./2019 दिनांक 18.03.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ''इस कार्यालय के सूचना प्रकोष्ठ/आवक शाखा रिकार्ड के अनुसार कार्यालय में प्राप्त होना नही पाया गया है। इस संबंध में आवक शाखा लिपिक की टिप्पणी अंकित है। इसलिए अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नही होने से उक्त अपील खारिज/निरस्त योग्य है। अपीलार्थी ने अपील में प्रस्तुत आवेदन पत्र में ओवरराईटिंग कर रखी है। खनिज विभाग बिजौलिया अंकित कर रखा है। इससे स्पष्ट होता हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कलक्टर कार्यालय के क्षैत्राधिकार की नहीं है एवं अपील करने का समय भी 45 दिवस होने के उपरांत भी 07 माह बाद प्रथम अपील की है, जो सूचना के अधिकार के नियमों के विरूद्व है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य है।''

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निरस्त की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान् को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 19.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा